डा0 नवल किशोर चौधरी,भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2018 को आयोजित सभी विभागों के तकनीकी पदाधिकारियों की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

कैमूर जिले के सभी तकनीकी विभागों के कार्य प्रगति की मासिक समीक्षा हेतु दिनांक 29.08.2018 को एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता या उनके द्वारा प्राधिकृत अभियंता द्वारा भाग लिया गया, जिसमें निम्नांकित निर्देश दिये गये:–

1. निरीक्षण/जांच के दौरान रात्रि होने पर अतिथि गृह की कमी के कारण जिला/राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को रात्रि विश्राम हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। *कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, भभुआ, पथ प्रमण्डल, भभुआ एवं सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमण्डल, भभआ को निदेश दिया जाता है कि विभाग से प्राप्त दिशा निदेश के आलोक में विभागीय अतिथि गृह निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, इसमें भी एन0एच0–2 को प्राथमिकता दी जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि जिसके पास मानक के अनुरूप विभागीय भूमि उपलब्ध न हो वे एन0एच0–2 के किनारे बिहार सरकार की खाली पड़ी भूमि को चिन्हित करते हुए स्थानीय अंचलाधिकारी से समन्वयक स्थापित कर बंदोबस्ती हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।*

(अनुपालनः–कार्य0 अभि0, वि0आ0प्र0, भभुआ, पथ प्र0, भभुआ एवं सो0उ0स्त0न0प्र0, भभआ)

2. विद्युत विभाग की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कैमूर जिले के 1217 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था जिसके विरूद्ध अब तक उपलब्धि मात्र 545 है, जबकि अक्टूबर, 2018 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना प्रमण्डल, भभुआ को निदेश दिया जाता है कि ससमय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु माहवार/सप्ताहवार कार्ययोजना तैयार कर तीन दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना प्रमण्डल, भभुआ)

3. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि ज्यादातर तकनीकी विभागों द्वारा जो प्रतिवेदन समीक्षा हेतु उपलब्ध कराया गया है उसमें योजनाओं का नाम सारांश में दिया गया है, जिससे काफी असुविधा होती है। सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अगली बैठक हेतु दिये जाने वाले प्रतिवेदन में योजना का पूरा नाम एवं स्पष्ट आंकड़ा देना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, जिला–कैमूर)

4. लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि समीक्षा बैठक में मिनी जलापूर्ति योजना एवं मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत माननीय विधान पार्षद द्वारा अनुशंसित चापाकलों के निर्माण कार्य के संबंध में बार–बार संवेदकों को निदेशित किये जाने के बावजूद भी अपेक्षित प्रगति नहीं है। *कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से विभाग के वरीय मुख्य अभियंता एवं सचिव से तत्संबंधी पत्राचार करना सुनिश्चित करें।*

(अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ)

5. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विगत माह की बैठक में निदेशक, डी0आर0डी0ए0, कैमूर को फ्लोराईड से प्रभावित ग्रामों की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था जो अब तक अप्राप्त है। *निदेशक, डी0आर0डी0ए0, कैमूर को निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।*

(अनुपालनः–निदेशक, डी0आर0डी0ए0, कैमूर)

6. योजना विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री छेदी पासवान, माननीय सांसद, सासाराम संसदीय क्षेत्र द्वारा स्वीकृत कुल 1227 योजनाओं में से 42 अपूर्ण हैं, तथा श्री अश्विनी कमार चौबे, माननीय सांसद बक्सर संसदीय क्षेत्र द्वारा स्वीकृत कुल 35 योजनाओं में से 16 अपूर्ण हैं साथ ही जिले के सभी विधान सभा एवं विधान पार्षद सदस्यों द्वारा स्वीकृत कुल 535 योजनाओं में से 85 योजनाएं अपूर्ण हैं। *जिला योजना पदाधिकारी, कैमूर को निदेश दिया जाता है कि माननीय सदस्यों द्वारा स्वीकृत कुल योजनाओं में से अपूर्ण योजनाओं से संबंधित अभियंताओं से समन्वय स्थापित करते हुए यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।*

(अनुपालनः– जिला योजना पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)

7. *समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जिला योजना कार्यालय द्वारा गलत प्रतिवेदन भेजा गया है, भवन प्रमण्डल से कोई प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि कार्यपालक अभियंता, जमांनियां पम्प नहर प्रमण्डल, मोहनियां बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, कैमूर को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त कृत्य के लिए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/भवन प्रमण्डल, भभुआ तथा जमांनियां पम्प नहर प्रमण्डल, मोहनियां से स्पष्टीकरण की मांग करना सुनिश्चित करें।*

(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, कैमूर)

8. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विभिन्न तकनीकी विभागों से समीक्षा हेतु जो प्रतिवेदन प्राप्त है वह अहस्ताक्षरित है एवं अद्यतन नहीं है। प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केवल तारीख बदलकर पुराना प्रतिवेदन भेज दिया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। *सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया जाता है कि इसके लिए अपने कम्प्यूटर ऑपरेटर से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो इसकी चेतावनी भी देना सुनिश्चित करें साथ ही हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रतिवेदन की स्वयं सम्यक जांच भी कर लें।*

(अनुपालनः–सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, जिला–कैमूर)

9. कैमूर जिला अंतर्गत संचालित सभी तकनीकी विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया जाता है कि अपने विभाग द्वारा खरीदी गयी, लीज पर ली गयी या अधिग्रहित की गयी भूमि का संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर एक माह के अंदर इस मोटेशन कराना सुनिश्चित किया जाय, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा खरीदी गयी या अधिग्रहित की गयी भूमि पर विभाग का दखल कब्जा तो है परन्तु पंजी–2 में मूल रैयत का नाम ही काबिज है, जो गलत है।

(अनुपालनः–सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, जिला–कैमूर)

सधन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

ज्ञापांक 203 /वि०, दिनांक 20-9-2018

प्रतिलिपि :– सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, कैमूर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित।

20.9.18
जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।